

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-18/2023/995/94-एस0आर0-2-2023-700(29)/2021
लखनऊ, दिनांक : 03 अगस्त, 2023

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, अग्रिम आदेशों तक, उक्त अधिनियम सन् 1899 की अनुसूची-1 (ख) के अनुच्छेद 33 के अधीन दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करके नीचे सारणी के स्तम्भ-1 में दिये गये दान विलेख पर नीचे सारणी के स्तम्भ-2 में दिया गया अधिकतम स्टाम्प शुल्क नियत करती हैं :-

सारणी

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
लिखत का विवरण	अधिकतम स्टाम्प शुल्क
ऐसा दान विलेख, जिसके द्वारा दाता, अचल सम्पत्ति का अन्तरण, परिवार के सदस्यों यथा पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधू (पुत्र की पत्नी), सगा भाई (सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी), सगी बहन, दामाद (पुत्री का पति), पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्री के पक्ष में करें।	₹ 5,000.00

- 1-यदि दान विलेख के लिखत द्वारा प्राप्त कोई सम्पत्ति रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से पाँच वर्ष की समयावधि के भीतर प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार में दी जा रही हो तो उक्त सम्पत्ति का दान इस अधिसूचना के अधीन आच्छादित नहीं होगा।
- 2-इस अधिसूचना में वास्तविक व्यक्ति से वास्तविक व्यक्ति को दी गयी सम्पत्ति का दान ही आच्छादित है। इस अधिसूचना के उपबन्ध किसी कल्पित व्यक्ति यथा-फर्म, कम्पनी और ट्रस्ट व संस्था आदि के दानकर्ता या दान प्राप्तकर्ता के लिए प्रभावी नहीं होंगे।
- 3-इस अधिसूचना के अधीन मात्र आवासीय, कृष्य सम्पत्ति का दान आच्छादित होगा। अन्य प्रकार की सम्पत्ति यथा-औद्योगिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत सम्पत्ति इत्यादि का दान इस अधिसूचना के उपबंधों से आच्छादित नहीं होगा।

भवदीया,
लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 18/2023/995/94-एस0आर0-2-2023-700(29)/2021 दिनांक: 03 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 03 अगस्त, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।**

संख्या:- 18/2023/995/94-एस0आर0-2-2023-700(29)/2021 दिनांक: 03 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 2- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
- 7- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उ0प्र0।
- 8- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
- 9- विधायी अनुभाग-1
- 10- भाषा अनुभाग-5
- 11- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,
कुलदीप सिंह
अनु सचिव।**

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 18/2023/995/94-S.R-2-2023-700(29)2021 dated, 03 August, 2023.

Notification
Order

No. 18/2023/995/94-S.R-2-2023-700(29)2021
Lucknow, Dated, 03 August, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, the Governor, until further orders, with effect from the date of the publication of this notification in the Gazette, by giving remission, in the stamp duty chargeable on gift deed under Article 33 of Schedule 1-B of the said Act of 1899, is pleased to fix the maximum stamp duty as set out in column-2 of the table below on the gift deed as set out in column-1 of the table below:-

Table

Column-1	Column-2
Description of the instrument	Maximum stamp duty
Such gift deed, whereby the donor, transfers immovable property in favour of family members, such as son, daughter, father, mother, husband, wife, daughter-in-law (wife of son), real brother (his wife in case of death real brother), real sister, son-in-law (husband of daughter), son/daughter of son/daughter.	Rupees 5000.00

1-If any Property received by the instrument of a Gift Deed, is being gifted by the receiver within the time period of five years from the date of registration, the gift of the said property will not be covered under this notification.

2-This notification covers the Gift of property, given by real person to a real person only. The provisions of this notification will not be effective for the Donor or receiver of the gift of a fictitious person like Firm, Company, and Trust & Institution etc.

3-Only the gift of residential and agricultural property will be covered under this notification. Gift of the properties of other kind like Firm, Company, Trust & Institution etc. will not fall within the provisions of this notification.

By order
Leena Johri
Pramukh Sachiv.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।